कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थित **श्री राकेश गर्ग, कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।**

प्रार्थी **सर्वश्री आगरा लेदर एसोसियेशन, 5 / 138, हींग की मण्डी, आगरा।**

प्रार्थना पत्र संख्या **22 / 12**

प्रार्थी की ओर से **श्री राज राजन बंसल, अधिवक्ता।**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

1. व्यापारी द्वारा धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र संख्या-22 / 12, दिनांक 14.03.12 प्रस्तुत किया गया है जिसके माध्यम से निम्न प्रश्न पूछा गया है :-

यह कि प्रान्तीय लेदर विक्रेताओं पर लोकल एरिया के बाहर किसी भी स्थान से प्रान्त के अन्दर एवं प्रान्त के बाहर से खरीद कर प्रान्तीय निर्माता-निर्यातक इकाइयों को उनके द्वारा निर्मित माल में प्रयोग हेतु बिक्री किये गये माल पर प्रवेश कर के सम्बन्ध में पूर्ण कर-मुक्ति " फार्म-3बी " एवं प्रमाण-पत्र कर-निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने पर भी प्रवेश कर की देयता का दायित्व है अथवा नहीं ?

2. फर्म की ओर से श्री राज राजन बंसल, अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा उनके द्वारा बताया गया कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी विज्ञप्ति संख्या--क0 नि0-2-3843 / ग्यारह-9 (81) / 91-उ0 प्र0 अधि0-12-2000-आदेश-(30)-2003लखनऊ दिनांक 14.08.2003 में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि "किसी चमड़ा व्यापारी द्वारा किसी चर्म वस्तु निर्यात मूलक निर्माता व्यापारी को उसी रूप एवं दशा में विक्रयार्थ तैयार चमड़ा (फिनिश्ड लेदर) के उस स्थानीय क्षेत्र के बाहर के किसी स्थान से किसी स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश पर, निम्न शर्तों के अधीन उक्त अधिनियम के अधीन कोई कर उद्ग्रहीत एवं संग्रहीत नहीं किया जायगा।" अत: उक्त से यह स्पष्ट होता है कि उक्त विज्ञप्ति में ऐसी कोई शर्त नहीं है कि चमड़े के निर्माता व्यापारी को की गयी बिक्री के सम्बन्धित माल की खरीद उत्तर प्रदेश के भीतर से की गयी है अथवा उत्तर प्रदेश के बाहर से की गयी है। अत: वह इस सम्बन्ध में धारा-59 के अन्तर्गत विधिक स्थिति जानना चाहते हैं।

3. मेरे द्वारा व्यापारी के प्रार्थना-पत्र, पत्रावली एवं अभिलेखों आदि का परिशीलन किया गया। पाया गया कि व्यापारी द्वारा अपने प्रार्थना-पत्र द्वारा नोटिफिकेशन संख्या- क0 नि0-2-3843 / ग्यारह-9 (81) / 91-उ0 प्र0 अधि0-12-2000-आदेश-(30)-2003लखनऊ दिनांक 14.08.2003 पर विधिक राय जाननी चाही गयी है जो कि उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 की विषय वस्तु नहीं है। चूँकि व्यापारी द्वारा पूछा गया प्रश्न उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 (1) (a), (b), (c), (d) एवं (e) के अन्तर्गत नहीं आता है। अत: व्यापारी का धारा-59 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र ग्राह्य न होने के कारण अस्वीकार किया जाता है।

6. प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

7. उपरोक्त की एक प्रति व्यापारी, कर निर्धारण अधिकारी व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के आई0 टी0 अनुभाग को प्रेषित कर दी जाय।

दिनांक 22 मार्च, 2012

ह0 / 22.03.2012

(राकेश गर्ग)

कमिश्नर, वाणिज्य कर,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।